

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1184/225/आउशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7/6/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर उनके नाम के समक्ष अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.N o.	College	Location	District	Letter No.& Date	Allotment Amount	Segment Code No.
1	Govt College	Alirajpur	Alirajpur	524/28.5.18	44300	0102
2	Govt Madhav College	Chanderi	Ashoknagar	812/22.5.18	50000	0103
3	Govt P G College	Badwani	Badwani	1443/24.5.18	50000	0101
4	Govt Girls College	Chhatarpur	Chhatarpur	215/22.5.18	49990	0101
5	Govt College [Bapu College]	Nawgaon	Chhatarpur	96/1.6.18	47500	0101
6	Govt College	Batiyagarh	Damoh	304/28.5.18	49990	0101
7	Govt P G College	Damoh	Damoh	303/28.5.18	49990	0101
8	Govt Krishnajirao Pawar P G College	Dewas	Dewas	784/26.5.18	50000	0101
9	Govt College	Bagh	Dhar	282/21.5.18	50000	0102
10	Shri Makhanlal Chaturvedi Govt College	Babai	Hoshangabad	108/21.5.18	50000	0102
11	Govt Home Science Girls P G College	Hoshangabad	Hoshangabad	1031/21.5.18	50000	0102
12	Govt Shyam Sundar Agrawal College	Sihora	Jabalpur	217/26.5.18	50000	0101
13	Govt College	Gairatganj	Raisen	209/28.5.18	50000	0101
14	Govt College	Devtalab	Rewa	44/22.5.18	50000	0103
15	Govt Nehru College	Deori	Sagar	657/21.5.18	50000	0102
16	Govt College	Budhni	Sehore	323/1.6.18	50000	0101
	Total				791770	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आंबटित राशि का आहरण महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा :-

सेगमेंट	बजट शीर्ष
0101-उच्च शिक्षा (सामान्य)	44-2202-03-103-0101-6990-43-000
0102-आदिवासी उपयोजना (सब-स्कीम)	44-2202-03-103-0102-6990-43-000
0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब-स्कीम)	44-2202-03-103-0103-6990-43-000

(5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।


(6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जावे।

(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आंबटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।


(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0- 1185 / 225 / बजट / 2018
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-7/6/2018

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
5. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश